न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 101/2012

GCMS NO 2012/00070

1. भूपेन्द्र पुत्र किरोडी
2. देवीलाल पुत्र पून्या
3. रमन सिह पुत्र बिरजी जातियान जाट निवासीयान ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कृपाल सिह
2. कुंवर सिह पिसरान पांच्या जाति जाट निवासी ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
3. मु0मोटा बेबा बिरजी जाति जाट निवासी ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
4. लक्ष्मण सिह
5. उंकार सिह पिसरान किशन सिह जातियान जाट निवासीयान ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
6. झूमीलाल पुत्र अमोल जाति जाट निवासी ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली(मृतक)

6/1. सुमेर सिह

6/2. गोपाल

6/3. अजीत सिह पिसरान स्व0झूमीलाल जातियान जाट निवासीयान ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

7. महेश पुत्र लोहरेराम
8. मानसिह पुत्र लोहरेराम
9. विजय सिह पुत्र जुबला जातियान जाट निवासीयान ढिढोरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
10. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी हाल तहसील सुरोठ

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 251/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.08 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेन्द्र पाठक

अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से श्री सीताराम गुर्जर

रेस्पो0संख्या 6/1 ता 6/3 की और से श्री पुष्पेन्द्र कुमार जैन

दिनांक 29.10.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अ[illegible] धारा 225 [illegible] दिनांक 22.7.08 न्यायालय उप जिला कलक्टर, हिण्डौन सिटी पेश की है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद पत्र बाबत तकासमा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 508 की आराजी ख0न0

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

1805 रकबा 22 ऐयर , ख0न0 1839 रकबा 29 ऐयरा , ख0न0 1851 रकबा 21 ऐयर, ख0न0 1951 रकबा 62 ऐयर, ख0न0 1952 रकबा 31 ऐयर, ख0न0 1953 रकबा 6 ऐयर , ख0न0 2321 रकबा 24 ऐयर, ख0न0 2426 रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम ढिढोरा तहसील हिण्डौन मे स्थित है। खाता संख्या 534 मे दर्ज ख0न0 1876 रकबा 41 ऐयर , ख0न0 1877 रकबा 44 ऐयर, ख0न0 1878 रकबा 13 ऐयर, खाता संख्या 507 की आराजी ख0न0 1972 रकबा 97 ऐयर, खाता संख्या 511 की आराजी ख0न0 1529 रकबा 66 ऐयर, खाता संख्या 510 की आराजी ख0न0 1767 रकबा 10 ऐयर , ख0न0 1770 रकबा 17 ऐयर, ख0न0 2235 रकबा 14 ऐयर, ख0न0 2326 रकबा 9 ऐयर, ख0न0 2327 रकबा 12 ऐयर, ख0न0 2354 रकबा 24 ऐयर, ख0न0 2366 रकबा 20 ऐयर, ख0न0 2367 रकबा 18 ऐयर, ख0न0 2373 रकबा 15 ऐयर, ख0न0 2478 रकबा 10 ऐयर, ख0न0 2354/4070 रकबा 23 ऐयर वाके ग्राम ढिढोरा तहसील हिण्डौन मे स्थित है। खाता संख्या 508 की आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 1 भूपेन्द्र का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी न0 2 देवीलाल व प्रतिवादी न0 3 व 4 का 1/4 हिस्सा है। खाता संख्या 534 की आराजी मे प्रतिवादी न0 8 व 9 का 1/4 हिस्सा , वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/4 हिस्सा है। खाता संख्या 507 की आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 भूपेन्द्र का 11.25/9700 व प्रतिवादी न0 3 का 13/97 हिस्सा व प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/4 हिस्सा है। खाता संख्या 511 की आराजी मे वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी न0 2 ता 4 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी न0 7 का 1/2 हिस्सा है। खाता संख्या 510 की मे वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 का 1/8 हिस्सा, व प्रतिवादी न0 7 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 2 का 1/16 हिस्सा प्रतिवादी न0 3 ता 4 का 1/16 हिस्सा है। आराजीयात मद न0 1 ता 5 वादीगण व प्रतिवादीगण जिनके हिस्से वाद पत्र मे वर्णित मद न0 6 ता 10 मे काश्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के पिता भी काश्त करते रहे है। वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि है। जो उन्हे विरासत मे प्राप्त हुई है। खाता संख्या 508 मे प्रतिवादी न0 1 भूपेन्द्र ने आराजी ख0न0 2426 मे से अपना 1/8 हिस्सा प्रतिवादी न0 5 लक्ष्मण सिह पुत्र किशन सिह को विक्रय कर दिया है। जिसका नोट नामा0संख्या 548 दिनांक 17.1.98 से जमाबंदी मे दर्ज है। इसी प्रकार ख0न0 2426 मे से प्रतिवादी न0 3 व 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी न0 5 व 6 को विक्रय कर दिया है। जिसका नोट नामा0संख्या 574 दिनांक 13.5.99 जमाबंदी मे दर्ज है। इसी प्रकार ख0न0 2526 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय कर दिया। जिसका नोट नामा0संख्या 580 दिनांक 13.5.98 जमाबंदी मे दर्ज है। आराजी ख0न0 1951 मे से प्रतिवादी न0 1 ने अपने हिस्से मे से 9/62 भाग प्रतिवादी न0 3 को विक्रय कर दिया है। जिसका नोट भी नामा0संख्या 643 दिनांक 27.12.99 जमाबंदी मे दर्ज है। खाता संख्या 507 मे वर्णित आराजी मद न0 8 मे से प्रतिवादी न0 1 ने बहिस्सा 1125/9700 प्रतिवादी न0 3 को विक्रय कर दिया है। जिसका नोट नामा0 का 694 दिनांक 15.8.2000 जमाबंदी मे दर्ज है। खाता संख्या 534 मे से प्रतिवादी न0 3 व 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी न0 5 को विक्रय कर दिया है। जिसका नोट नामा0 संख्या 700 दिनांक 9.2.2000 जमाबंदी मे दर्ज है। खाता संख्या [illegible] प्रतिवादी न0 7 ने अपना हिस्सा बैंक आफ बडौदा रहन किया हुआ है। [illegible] 653 दिनांक 31.3.2000 जमाबंदी मे दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी [illegible] पर अपने अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु जमीनो की कीमत बढ जाने से आ[illegible] मे झगडा फसाद होते रहते

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है। प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की जमीनो को दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर रहे है। लगान आदि पर झगडा रहता है। इस कारण वाद पत्र डिकी फरमाया जाकर अलग अलग हिस्से कायम किये जाकर अलग अलग मेड कायम की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.9.2007 को वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को 500/-रूपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम ढिढोरा की जमाबंदी सम्बर 2055 ता 58 मे खाता संख्या 508,507,534,511,510 को मौके पर खातेदारान का हिस्से अनुसार बंटवारा कर बंटवार सूची मय नक्शा न्यायालय मे पेश करने हेतु निर्देशित किया जाकर प्राथमिक डिकी दिनांक 13.9.2007 को जारी की गई। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर वकील डिकीदार को सुना गया। बंटवारा स्कीम प्रस्ताव मे पक्षकारान के हिस्से प्रस्तावित भूमि को अलग अलग ख0न0/बटा नम्बर अंकित नही होने से प्रस्ताव वापिस भिजवाये जाकर पुनःबंटवारा स्कीम तलब की गई। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर वकील डिकीदार को सुना जाकर एवं प्राथमिक डिकी मुताबिक वादी का वाद पत्र दिनांक 22.7.08 को डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 ता 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1805,1839,1851,1951,1952,1953,2321,2426 कुल किता 8 कुल रकबा 3.28 है0 ख0न0 1876, 1877, 1878, 1972,1929,1767,1770,2235,2326,2327, 2354,2366,2367, 2773,2478,2354/4070 वाके ग्राम ढिढोरा तहसील हिण्डौन मे स्थित है। जो अपीलांट व रेस्पो0 की सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त विवादग्रस्त आराजी के बाबत रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा बाबत तकासमा अधिनस्थ न्यायालय मे यह कहते हुए पेश किया गया था कि उपरोक्त आराजी अपीलांट व रेस्पो0 की सहखातेदारी की भूमि है। जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 का जमाबंदी मे अपने अपने हिस्से दर्ज है। उसी हिसाब से काफी अरसे पूर्व से ही अपनी मनमर्जी से अलग अलग खेत बांट कर अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जमीनो की कीमत बढ जाने के कारण विवाद की स्थिति है। इसलिए जमाबंदी मे दर्ज अनुसार बंटवारा कर दिया जावे। उक्त दावे का जबाब प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा पेश किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को प्राथमिक डिकी कर दिया। बंटवारा स्कीम के लिए तहसीलदार हिण्डौन को नियुक्त कर बंटवारा स्कीम तैयार कर न्यायालय मे पेश करने के आदेश दिये गये थे। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के मुताबिक बंटवारा स्कीम बनाने मौके पर जाकर तहसील कार्यालय मे ही बंटवारा स्कीम बनाकर पेश कर दी। उसी अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा फाईनल डिकी कर दिया गया। जबकि मौके पर अपीलांट विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1851,1839,1529,1951,2321, 1805, 1952,1953 पर काफी अरसे से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। इसी अनुसार अपीलांट ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय मे जबाब पेश किया था। उक्त तथ्यो को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर निर्णय व डिकी जारी की गई है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जारी करने से पूर्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा का कोई अवलोकन नही किया ना ही अपने निर्णय मे विवेचन किया गया। इस कारण निरस्त योग्य है। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा बंटवारा स्कीम बनाते समय अपीलांट को कोई भी नोटिस नही दिया ना ही मौके पर बंटवारा स्कीम बनाई गई। रेस्पो/वादीगण से मिलकर तहसील कार्यालय मे ही बैठकर सारी कार्यवाही गुप चुप तरीके से कर ली गई। इस कारण निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 5.7.12 जो जब हुई जब वह अपने वकील साहस से मुकदमे की पूछने गया तो उन्होने बताया कि तुम्हारा मुकदमा तो दिनांक 22.7.2008 को फैसल हो चुका है। इस प्रकार जानकारी की दिनांक से समयावधि मे तथा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फ़रमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के बुर्जगान से विरासत मे प्राप्त हुई है। सजरा खानदान अनुसार जगन लाऔलाद फौत हो चुका है। इसके कोई लडका लडकी औरत नही थी। इसलिए उसका हिस्सा दुर्गा,पून्या, पांच्याा पुत्र सांवलियां को चला गया। इस तरह समस्त विवादग्रस्त आराजी मे तीनो 1/3 , 1/3 हिस्से के खातेदार व मालिक हो गये। नकल जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 के खाता संख्या 508 मे दर्ज ख0न0 1805,1839,1851,1951,1952,1953,2321,2426 कुल किता 8 कुल रकबा 3.28 है0 मे रेस्पो0/वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खाता संख्या 507 के ख0न0 1972 रकबा 0.97 है0 मे रेस्पो/वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 534 के ख0न0 1876,1877,1878 कुल रकबा 0.98 है0 मे रेस्पो/वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 511 मे दर्ज ख0न0 1529 रकबा 0.66 है0 मे रेस्पो/वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। खाता संख्या 510 के ख0न0 1767,1770,2235,2326,2327,2354,2366,2367,2373,2478,2354/4070 कुल किता 11 कुल रकबा 1.72 है0 मे रेस्पो/वादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का पूर्ण अवलोकन कर प्राथमिक डिकी जारी करने से पूर्व तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवचेन विश्लेषण करने के पश्चात दिनांक 13.9.2007 को तहसीलदार हिण्डौन से कुरेजात प्राप्त की जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिसकी अपीलांट द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी की जानकारी अपीलांट को भली भाति होते हुए उनके द्वारा किसी प्रकार की अपील दायर नही करना यह सिद्व करता है कि वे प्राथमिक डिकी से सहमत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी के परिपेक्ष्य मे तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम प्राप्त करने हेतु 500/-रूपये की मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर बंटवारा स्कीम प्राप्त की गई। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं बंटवारा स्कीम असहमति [illegible] करते हुए बंटवारा स्कीम पृथक पृथक खसरा नम्बरान की/बटानम्बरान अंकित करते हुए [illegible] जाकर ही वाद पत्र को फाईनल डिकी किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] व फाईनल डिकी दिनांक 22.7.08 को जारी की गई है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा चार वर्ष पश्चात पेश की गई है। जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बिलम्ब के लिए अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र अंकित किया गया है उसके बिलम्ब का कोई उचित कारण भी अपीलांट द्वारा स्पष्ट नही किया गया है ना ही कोई दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है। इस प्रकार अपीलांट की अपील धारा 5 मियाद अधिनियम से बाधित होने एवं सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया ।जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट एवं रेस्पो0की सहखातेदारी की आराजीयात रही है। इस तथ्य को दोनो पक्षो ने स्वीकार किया है तथा मौके पर आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करना भी दोनो पक्षो मे जाहिर किया गया है। रेस्पा/वादी द्वारा विवादित आराजीयात का बंटवारा विधिवत कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे तकासमा का वाद पत्र पेश किया गया है। जिसमे अपींलांट/प्रतिवादीगण द्वारा जरिये वकालतन जबाब दावा पेश किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित नही की गई है यह तथ्य भी सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.9.2007 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी अपील अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय मे पेश करने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तकासमा स्कीम दिनांक 6.5.08 मे वादी/रेस्पो0 सहित अन्य व्यक्तियो के हस्ताक्षर अंकित है तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने का अंकन किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम तैयार करते समय बाबजूद सूचना के अपीलांट/प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादग्रस्त आराजी ख0न0 2426,1851,1839,1529,1951,2321, 1805, 1952,1953 पर काफी अरसे से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। जबकि नकल जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 के खाता संख्या 508 मे दर्ज ख0न0 1805,1839,1851,1951,1952,1953,2321,2426 कुल किता 8 कुल रकबा 3.28 है0 मे रेस्पो0/ वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज है। इसी प्रकार ख0न0 1529 रकबा 0.66 है0 मे वादीगण/रेस्पो0 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे मौजूद नक्शा ट्रेस मे हरे रंग से दर्शित रकबा वादी का दर्शाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तस्दीक होकर प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र फाईनल डिक्री जारी किया गया है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायाचित नही है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट धारा 5 मियाद अधिनियम के वाधित होने एवं खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0न0 251/2001 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.7.08 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:20 IST
Reason: SelfAttested

29/10/24

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner